कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0 मोबाईल नं0-8544412079
जिला शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली-844102
वैशाली।

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-77/गो0 दिनांक-11.06. 2024 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी आधारित ई-शिक्षाकोष मोबाईल ऐप पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश प्राप्त है। निदेशक प्रसासन-सह-अपर सचिव के पत्रांक 2691 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक करवाई करने हेतु निदेश दिया गया हैं। कार्यालय के द्वारा **सुश्री मधुमाला कुमारी**, विद्यालय अध्यापक, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय पनापुर, धर्मपुर ,बिदुपुर, वैशाली के द्वारा ई-शिक्षाकोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शिक्षिका द्वारा लगातार कई महीनो से अन्यत्र स्थान से उपस्थित दर्ज करते हुए आगमन एवं प्रस्थान दर्ज की जा रही है।

उक्त के आलोक में **सुश्री मधुमाला कुमारी**, विद्यालय अध्यापक, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय पनापुर, धर्मपुर ,बिदुपुर, वैशाली को सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने, ई-शिक्षाकोष ऐप पर अन्यत्र स्थान से उपस्थित एवं प्रस्थान दर्ज करने, विभाग के साथ धोखाधड़ी करने, बिना कार्य किए वेतन लेने, छात्रों के शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हुए उनके अधिकारों का हनन करने, अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप में, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं बिहार सेवा संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

सुश्री मधुमाला कुमारी के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सुश्री मधुमाला कुमारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड- गोरौल निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

ह0-

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-1970 हाजीपुर दिनांकः-27/08/26

प्रतिलिपिः-संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– सुश्री मधुमाला कुमारी,
(ii). पद नाम– विद्यालय अध्यापक
(iii). जन्म तिथि–
(iv). सेवानिवृति तिथि–
(v). सेवा संवर्ग का नाम– विद्यालय अध्यापक
(vi). पद समूह एवं विभाग– विद्यालय अध्यापक / शिक्षा विभाग
(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–
(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026 / जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय पनापुर, धर्मपुर,प्रखंड– बिदुपुर, वैशाली

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
27/8/26

भाग द्वितीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–77/गो0 दिनांक–11.06. 2024 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी आधारित ई–शिक्षाकोष मोबाईल ऐप पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश प्राप्त है। निदेशक प्रसासन–सह–अपर सचिव के पत्रांक 2691 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक करवाई करने हेतु निदेश दिया गया हैं। मधुमाला कुमारी के द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए ई–शिक्षाकोष मोबाइल ऐप पर लगातार कई महीनों तक विद्यालय परिसर से बाहर (अन्यत्र स्थान से) अपनी उपस्थिति (आगमन एवं प्रस्थान) दर्ज की है। उनका यह कृत्य विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नही करने को दर्शाता है। यह कृत्य सरकारी कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

(ii). सुश्री मधुमाला कुमारी, विद्यालय अध्यापक, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय पनापुर, धर्मपुर ,बिदुपुर, वैशाली के द्वारा सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल कार्य, ई–शिक्षाकोष ऐप पर अन्यत्र स्थान से उपस्थित एवं प्रस्थान दर्ज, विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन लेने, छात्रों के शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हुए उनके अधिकारों का हनन करने, अपने दायित्वों का निषठापूर्वक निर्वहन नहीं करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवाशर्त का घोर उल्लंघन किया गया है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, फर्जीवाड़ करना, विभाग को गुमराह करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
27/8/26

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–77/गो0 दिनांक–11.06. 2024 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी आधारित ई–शिक्षाकोष मोबाईल ऐप पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश प्राप्त है। निदेशक प्रसासन–सह–अपर सचिव के पत्रांक 2691 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक करवाई करने हेतु निदेश दिया गया हैं। मधुमाला कुमारी के द्वारा विभागीय आदेशों की

अवहेलना करते हुए ई–शिक्षाकोष मोबाइल ऐप पर लगातार कई महीनों तक विद्यालय परिसर से बाहर (अन्यत्र स्थान से) अपनी उपस्थिति (आगमन एवं प्रस्थान) दर्ज की है। उनका यह कृत्य विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नही करने को दर्शाता है। यह कृत्य सरकारी कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

(ii). सुश्री मधुमाला कुमारी, विद्यालय अध्यापक, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय पनापुर, धर्मपुर ,बिदुपुर, वैशाली के द्वारा सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल कार्य, ई–शिक्षाकोष ऐप पर अन्यत्र स्थान से उपस्थित एवं प्रस्थान दर्ज, विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन लेने, छात्रों के शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हुए उनके अधिकारों का हनन करने, अपने दायित्वों का निषठापूर्वक निर्वहन नहीं करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवाशर्त का घोर उल्लंघन किया गया है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, फर्जीवाड़ करना, विभाग को गुमराह करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

27.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
27/8/26

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

कमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	ई–शिक्षाकोष दर्ज पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति विवरणी।	

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
27/8/26